

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2019/603

दिनांक:- 4/9/19

आदेश

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर, आवासीय अभियंता, खण्ड-अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी के अधीन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में अनावंटित/अधिशेष 380 आवासों/प्लैटों को अतिरिक्त मुख्य अभियंता तृतीय की अनुशंषा के आधार पर खुली बिक्री योजना द्वारा नगद भुगतान पद्धति पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1	एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	6/191 & 6/237-A	02
		आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	7/188, 7/191, 7/192, 7/197, 7/205, 7/208, 7/214, 7/220, 7/228, 7/233, 7/237	11
		अल्प आय वर्ग	7/68 & 7/88	02
2	एस.टी.सी. योजना, भरतपुर	मध्यम आय वर्ग-अ	1M108	01
3	अरावली विहार योजना, भिवाड़ी (जी+3) प्लैट्स	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (भूतल)	10/801, 10/802, 10/803, 10/818, 10/820, 10/850, 10/852, 10/898, 10/899, 10/914, 10/915, 10/929, 10/932, 10/947, 10/948, 10/961, 10/962, 10/964, 10/977, 10/979, 10/980, 10/994, 10/995, 10/1012, 10/1025, 10/1026, 10/1027, 10/1042, 10/1044, 10/1057, 10/1060	31
		आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (प्रथम तल)	10/805, 10/821, 10/822, 10/823, 10/824, 10/837, 10/838, 10/854, 10/855, 10/856, 10/901, 10/902, 10/903, 10/904, 10/917, 10/919, 10/933, 10/936, 10/949, 10/950, 10/952, 10/966, 10/967, 10/981, 10/982, 10/984, 10/997, 10/999, 10/1000, 10/1013, 10/1014, 10/1015, 10/1016, 10/1030, 10/1031, 10/1032, 10/1045, 10/1046, 10/1047, 10/1048, 10/1061, 10/1063, 10/1077, 10/1079, 10/1080, 10/1093, 10/1094, 10/1095, 10/1096, 10/1109, 10/1111, 10/1112	52
		आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (द्वितीय तल)	10/809, 10/810, 10/811, 10/812, 10/825, 10/826, 10/828, 10/844, 10/857, 10/858, 10/859, 10/905, 10/906, 10/907, 10/921, 10/922, 10/923, 10/924, 10/937, 10/938, 10/940, 10/953, 10/955, 10/956, 10/969, 10/970, 10/971, 10/985, 10/986, 10/987, 10/1002, 10/1003, 10/1019, 10/1034, 10/1035, 10/1036, 10/1049, 10/1051, 10/1052, 10/1066, 10/1067, 10/1068, 10/1081, 10/1082, 10/1083, 10/1084, 10/1097, 10/1098, 10/1099, 10/1100, 10/1113, 10/1114, 10/1115, 10/1116	54
		आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (तृतीय तल)	10/813, 10/815, 10/829, 10/830, 10/831, 10/832, 10/845, 10/846, 10/848, 10/861, 10/864, 10/909, 10/910, 10/911, 10/912, 10/925, 10/926, 10/927, 10/928, 10/941, 10/942, 10/944, 10/957, 10/958, 10/959, 10/960, 10/973, 10/974, 10/976, 10/989, 10/990, 10/991, 10/992, 10/1005, 10/1006, 10/1007, 10/1008, 10/1021, 10/1022, 10/1023, 10/1024, 10/1037, 10/1038, 10/1039, 10/1053, 10/1054, 10/1055, 10/1056, 10/1069, 10/1070, 10/1072, 10/1085, 10/1086, 10/1087, 10/1088, 10/1101, 10/1102, 10/1103, 10/1104, 10/1117, 10/1118, 10/1119, 10/1120	63

अल्प आय वर्ग (भूतल)	9/194, 9/211, 9/212, 9/225, 9/226, 9/228, 9/337, 9/371, 9/401, 9/403, 9/404, 9/417, 9/418, 9/419, 9/420, 9/435, 9/436, 9/451, 9/452, 9/466, 9/513, 9/516, 9/529, 9/530, 9/531, 9/532	26
अल्प आय वर्ग (प्रथम तल)	9/199, 9/213, 9/215, 9/216, 9/229, 9/230, 9/231, 9/232, 9/341, 9/342, 9/343, 9/344, 9/357, 9/358, 9/360, 9/374, 9/375, 9/391, 9/392, 9/405, 9/406, 9/421, 9/423, 9/437, 9/439, 9/453, 9/456, 9/469, 9/486, 9/501, 9/502, 9/503, 9/517, 9/518, 9/519, 9/520, 9/533, 9/534, 9/535, 9/536	40
अल्प आय वर्ग (द्वितीय तल)	9/201, 9/203, 9/217, 9/218, 9/220, 9/233, 9/234, 9/236, 9/346, 9/347, 9/363, 9/378, 9/380, 9/395, 9/409, 9/411, 9/412, 9/426, 9/427, 9/428, 9/441, 9/443, 9/458, 9/459, 9/473, 9/474, 9/476, 9/489, 9/492, 9/505, 9/506, 9/507, 9/508, 9/521, 9/522, 9/523, 9/524, 9/537, 9/538, 9/539, 9/540	41
अल्प आय वर्ग (तृतीय तल)	9/205, 9/207, 9/208, 9/221, 9/223, 9/224, 9/238, 9/239, 9/349, 9/350, 9/351, 9/352, 9/365, 9/366, 9/367, 9/368, 9/381, 9/382, 9/383, 9/397, 9/398, 9/399, 9/400, 9/413, 9/414, 9/415, 9/416, 9/429, 9/430, 9/431, 9/432, 9/445, 9/446, 9/447, 9/448, 9/461, 9/463, 9/464, 9/477, 9/478, 9/479, 9/480, 9/493, 9/494, 9/495, 9/509, 9/510, 9/511, 9/512, 9/525, 9/526, 9/527, 9/528, 9/541, 9/542, 9/543, 9/544	57
	कुल	380

सम्बंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय द्वारा उक्त आवासों का निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. फ्लैटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लैटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लैट खुली ब्रिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लैटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लैटों (आवासों) का निस्तारण खुली ब्रिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लैटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत् निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लैटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लैट किसी भी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आवासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 26/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर, राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-अलवर/भरतपुर/भिवाड़ी, राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर/भरतपुर/भिवाड़ी।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र (मु.) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक